

प्रेषक,
पी०के०पानो,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,
अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन भूमि हस्तांतरण, इन्दिरा नगर,
फारेस्ट कालोनी देहरादून।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4
विषय: जलपद उत्तराखण्ड में नौगाँव से भंकोली मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.7915 हे० आरक्षित एवं सिविल वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग (PMGSY)को प्रस्तावार्जन करने के सम्बन्ध में।
सहायक,
देहरादून: दिनांक: 16 अप्रैल, 2015

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2549/1जी-FP/UK/ROAD/9690/2015 दिनांक 31 मार्च, 2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल जलपद उत्तराखण्ड में नौगाँव से भंकोली मोटर मार्ग निर्माण 1.7915 हे० आरक्षित एवं सिविल वन भूमि लोक निर्माण विभाग को प्रस्तावार्जन करने की सैद्धान्तिक स्वीकृति, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के शासनादेश संख्या एफ०न०-11-09/98-एफ० सी० दिनांक 07 नवम्बर, 2014 एवं पत्र संख्या एफ० न०-11-09/98-एफ०सी० दिनांक 13 फरवरी, 2014 में निहित प्राक्खानों द्वारा प्रदत्त प्राधिकार का प्रयोग करते हुए अधोलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं-

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रस्तावार्जित भूमि के बदले 3.583 हे० सिविल सोयन भूमि पर क्षतिपूर्क वृक्षों का यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा तथा छः माह में आरक्षित/संरक्षित वन भूमि घोषित किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण की उक्त शर्त पूर्ण होने के पश्चात् ही प्रदान की जा रही सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत मानी जायेगी।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़ें स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी।
3. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का बचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि संक्षेप स्तर से यदि एन० पी०वी० की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बड़ी हुई धनराशि प्रयोक्त अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।
4. प्रयोक्ता अभिकरण मा० उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीसन (निदिब) 202/1995 के अन्तर्गत आई०ए० संख्या-566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन०पी०वी० तथा दूसरी सभी निधिओं प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या-एफ० सी०-25239, कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक-11 भूतस सी०जी०ओ० काम्पलेक्स, फेज-1, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में जमा करने के उपरान्त ही पावती की छायाप्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चेक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के संदर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मद्यार विवरण

अर्थात् एनपीडी, क्षतिपूर्क वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आस-पास वृक्षारोपण तथा अन्य दैय वनराशियों का विवरण दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात् ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।

5. प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यदल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
6. प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण-पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।
7. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
8. उपरोक्त शर्तों के अनुपालन पश्चात् प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति निर्गत की जायेगी।

भवदीय

(पी०के०पान्ना)

अपर सचिव।

संख्या: 214 11/X-4-15/1(10)2015, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, एफ०आर० आई०, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. सचिव, लोक निर्माण विभाग/पी०एम०जी०एस०आई, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. वन संरक्षक, भागीरथी युक्त, मुन्किरीस्ती।
4. जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
5. प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी।
6. अधिशासी अभियंता, पी०एम०जी०एस०आई, उत्तरकाशी।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(श्याम सिंह)

अपर सचिव।